

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग।

पत्रांक :

हजारीबाग/दिनांक : अगस्त, 2015

सेवा में,

सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक  
झारखण्ड।

विषय : राज्य स्तरीय Stakeholders' Workshop (दो दिवसीय) का आयोजन - प्रथम दिवस के कार्यक्रम हेतु दायित्वों का निर्धारण।

महाशय,


सूचित करना है कि दो दिवसीय राज्य स्तरीय Stakeholders' Workshop का आयोजन माह सितंबर, 2015 के अंतिम सप्ताह में किया जाना है जिसकी तिथि tentatively दिनांक-29 एवं 30 सितंबर, 2015 निर्धारित की गयी है। इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय Stakeholders' Workshop में प्रथम दिन चर्चा का विषय "वन संरक्षण अधिनियम" है एवं इस प्रथम दिवसीय आयोजन के लिये विभिन्न पदाधिकारियों को विशिष्ट दायित्व सौंपे गये हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा अनुमोदित उक्त कार्यशाला के प्रथम दिवसीय कार्यक्रम एवं इसके सफल आयोजन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों को दिये गये दायित्वों/कार्यों की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

उक्त संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के निदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि जिन पदाधिकारियों को कार्यशाला आयोजन हेतु विशिष्ट दायित्व सौंपे गये हैं, यदि वे एतदर्थ दूसरे पदाधिकारी अथवा कर्मचारी की सहायता की आवश्यकता समझें, तो वे अपनी सुविधानुसार दूसरे पदाधिकारी/कर्मचारियों की सेवा उन कार्यों के लिये ले सकेंगे।

अनुरोध है कि उक्त कार्यशाला के आयोजन हेतु तत्काल कार्रवाई आरंभ कर दी जाय एवं अपने अधीनस्थ संबंधित पदाधिकारियों, जिन्हें विशिष्ट दायित्व सौंपे गये हैं, को भी अपना कार्य तत्काल आरंभ करने का निदेश दिया जाय। इस संदर्भ में किये जानेवाले कार्यों में प्रगति की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक-25.08.2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से राँची स्थित वन विश्रामागार में की जायेगी।

अनु० : यथोक्त।


विश्रामागार

  
(पी०सी० मिश्र)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक  
प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग।

ज्ञापांक : राँची/दिनांक : अगस्त, 2015


प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(पी०सी० मिश्र)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक  
प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग।

ज्ञापांक : राँची/दिनांक : अगस्त, 2015


प्रतिलिपि : वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(पी०सी० मिश्र)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक  
प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग।

ज्ञापांक : 687 राँची/दिनांक : 17 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(पी०सी० मिश्र)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक  
प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग।

## **Workshop on FC Act**

(Date : .....)

1. Selected venue for the workshop : **B N R CHANAKYA**
2. Presentation on FC Act 1980 & related rules/ issues.
  - Presentation by the nominee of the DGF on FC Act
  - Presentation by Mr. Goel on FC Act
  - Presentation by a Wildlife Expert from Gol
  - Presentation by an Environment Expert
  - Presentation by Mr. Pathak from Gol on procedures for on-line submission of proposals

PCCF, Jharkhand has kindly consented to request DGF and others for Resource Persons.

3. Officer to book the venue and oversee the logistics of the workshop, including Registration & Workshop Materials (Bags, pads, pens, etc.).

**(Compliance : Sri S.R. Natesh, DCF, Trg., Ranchi)**

4. Preparation of list of stakeholders & Forest Officers (DFO & above) for participating in the workshop.

**(Compliance : Sri Sanjay Sinha, DFO, D&A, Ranchi).**

5. Communication with stakeholders and officers

**(Compliance : Sri P.C. Mishra, APCCF & Sri P.K. Verma, RCCF).**

6. Preparation of a compendium of relevant rules, regulations, etc. pertaining to the FC Act.

**(Compliance : Sri A.K. Prabhakar, PCCF & ED, Sri Y.K.S. Chauhan, APCCF, Sri A.N. Sharan, APCCF, Sri Rajiv Ranjan, CCF & Sri P.R. Naidu, DCF).**

7. Rapporteurs to note down details of the proceedings for preparation of the report on way forward.

**(Sri Chandramauli Prasad Sinha, DFO, Sri Biplav Mishra, ACF, Sri Tarak Nath, ACF & Sri R.N. Thakur, ACF)**

8. Computer operators to type the proceedings & outcomes/ way forward report.

**(Sri Nayan Sinha of PCCF Office, Sri Akhtar of the O/o RCCF, Hazaribagh & Sri Chaudhary of the O/o APCCF, CAMPA)**

9. Photography & Videography with projection facilities and adequate cordless mike provisions.

**(Compliance : Sri Kamlesh Pandey, DFO)**

10. Persons for registration and collection / distribution of papers during the workshop.

**(Compliance : Sri Tarak Nath, ACF; Assistants : Sri Prabhat of the O/o CCF, Gaz., Sri Kundan of the O/o Smt. Diksha Prasad, Sri Praveen of Ranchi Forest Division & Sri Pankaj Srivastava of the O/o DFO, WL, Ranchi)**

11. Budget Preparation

**(Compliance : Sri A.K. Patra, CCF & Sri R.L. Bakshi, DFO)**

## **Programme Details**

### **1<sup>st</sup> Day Programme**

**(Timings : 9.30 AM to 5.00 PM)**

**9.30 AM to 10.00 AM : Registration**

**10.00 AM to 11.00 AM : Inauguration**

- i. Welcome address by the PCCF, Jharkhand
- ii. Lighting of the lamp
- iii. Address by the Guests.
- iv. Address by the Hon'ble Chief Minister, Jharkhand.

**11.00 AM to 11.30 AM : High Tea**

**11.30 AM to 2.00 PM : Technical Session**

**(5 Resource Persons; 30 Minutes each)**

**2.00 PM to 2.45 PM : Lunch**

**2.45 PM to 4.30 PM : Interactive Session**

**4.30 PM to 5.00 PM : Way forward**

**(Tea shall be served on table)**

**Thanks giving**